अपील सूचना अधिकार संख्या 120/2020 (RCMS 2020/00206) श्री हरपाल सिंह सुधन, एडवोकेट पुत्र महताब सिंह, ब्राह्मण सिख, चैम्बर नम्बर 5ए, कचहरी परिसर, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर-335051 (मोबाईल नम्बर 096678-61073) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपपंजीयक, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.10.2020

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी उप पंजीयक, श्रीगंगानगर के पत्रांक 522 दिनांक 12.10.2020 से जवाब प्राप्त हुआ**, शामिल मिसल किया गया। अपीलार्थी** श्री हरपाल सिह सुधन स्वयं उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत उप पंजीयक अधिकारी, श्रीगंगानगर को एक आवेदन पत्र दिनांक 02.08.2020 को प्रस्तुत करके सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी एवं उप पंजीयक अधिकारी, श्रीगंगानगर ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर सूचना जारी करने की तिथि तक 250/- प्रतिदिन शास्ति अधिरोपित करने एवं वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री हरपाल सिंह सुधन ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 02.08.2020 के द्वारा उप पंजीयक अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला पंजीयन अभिलेखागार मे जमा श्रीमान् उपपंजीयक, मुकलावा के समक्ष दिनांक 07.03.2001 को ग्राम 19 एनपी के मुरब्बा नम्बर 24(175/339) का पंजीकृत बैयनामा काका सिंह उर्फ अवतार सिंह उर्फ चूचू पुत्र जीत सिह, कश्मीरी ब्राह्मण सिख, 22 एनपी बहक निर्मला देवी पत्नी पृथ्वीराज बिश्नोई, 19 एनपी (नोट : इस बैयनाम में विक्रेता का नाम कालू सिंह उर्फ अवतार सिह उर्फ चूच भी दर्ज हो सकता है, क्योंकि हमे संदेह है कि अवतार सिह उर्फ चूचू ने अपनी काका सिंह के बैयनामा की बजाए अपने भाई कालू सिंह के नाम के साथ उर्फ लगाकर बेचान किया है) की यथासंभव शीघ्र प्रमाणित प्रतिलिपि डाक द्वारा भिजवाए जाने की कृपा की जाए।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में उप पंजीयक, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 522 दिनांक 12.10.2020 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि मुकलावा उप पंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध पंजीयन दस्तावेज वर्ष 2013 तक जिला पंजीयन अभिलेखागार, उप पंजीयक कार्यालय, श्रीगंगानगर में जमा है। किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु प्रार्थी नियमानुसार नकल/सत्यप्रति फीस जमा करवा आवेदन कर जिला पंजीयन अभिलेखागार, उप पंजीयक कार्यालय, श्रीगंगानगर में नकल प्राप्त कर सकता है।

-sd-
उप पंजीयक
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनओं का सम्बन्ध उपपंजीयक, श्रीगंगानगर से है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत **उप पंजीयक द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है बल्कि इस हेतु महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर के पत्रांक एफ2(30)सू.अ./नियुक्ति/मुख्यालय/2337 दिनांक 25.11.2016 के आदेश के अनुसार तहत प्रथम अपील अधिकारी के रूप में संबंधित उपमहानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग अधिकृत है। इसलिए अपीलार्थी उपमहानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के समक्ष उप पंजीयक, श्रीगंगानगर के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है।**

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति उप पंजीयक, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर